फा.सं.08/01/2024-रा.भा. (सेवा)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-॥ भवन, वी विंग,
चौथा तल, जयसिंह रोड.
नई दिल्ली-110001
दिनांक 06 जून, 2024

कार्यालय ज्ञापन

विषयः राजभाषा विभाग के केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के कार्मिकों की वर्ष 2023-24 एवं विगत वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोटों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट का रख-रखाव मूलरूप से राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है, परंतु विगत में यह देखा गया है कि मंत्रालयों/विभागों द्वारा वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (मूल प्रति) प्रकटीकरण प्रमाण-पत्र (Disclosure certificate) के साथ राजभाषा विभाग को समय पर उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। इसके साथ ही यह भी पाया गया है कि कुछ कार्मिक जो कि प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं, वे अपनी वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) राजभाषा विभाग के निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर नहीं भेजते हैं। राजभाषा विभाग के प्रोफार्मा से अन्य किसी प्रोफार्मा में भेजी गई वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट पर पदोन्नति एवं एमएसीपी (MACP) की दृष्टि से विचार नहीं किया जाएगा ।

2. अतः सभी मंत्रालय/विभागों से अनुरोध है कि उनके कार्यालय में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2023-24 एवं विगत वर्षों की लंबित (यदि कोई हो तो) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग के प्रोफार्मा में (मूल प्रति) प्रकटीकरण प्रमाण-पत्र के साथ राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

राजेश
06/06/2024

(राजेश कुमार)
सहायक निदेशक(सेवा)
दूरभाष: 011-23438078

सेवा में,

1. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के अवर सचिव।
2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से संबंधित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के राजभाषा अनुभाग के नियंत्रण अधिकारी।
3. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सभी अधिकारी/कर्मचारी ।
4. सचिव (राजभाषा) के प्रधान निजी सचिव ।
5. संयुक्त सचिव (राजभाषा) के प्रधान निजी सचिव ।
6. तकनीकी परामर्शदाता (एन.आई.सी), कृपया इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।